प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सू.रि.स 02 दिनांक 28.01.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 13(1) ई0 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं – – – – – –– –

3.(क) घटना का दिन दिनांक से दिनांक 30.04.2008 से पहले

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 28.01.2014 समय 4.00 पी0एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 12 समय 4.05 पी0एम0

4. (सूचनाकैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब दक्षिण– लगभग 55 कि0मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सीटी थाना रेवाडी जिला रेवाडी।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– जांच कमांक 04 दिनांक 30.04.2008 रेवाडी पर दर्ज

(क) निरीक्षक जगदीश चन्द्र (ख) (पिता/पति का नाम) थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव।

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) सरकारी नोकरी (पता) थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. मुख्य सिपाही शेर मोहम्मद जिला रेवाडी।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री जगदीश चन्द्र निरीक्षक ,राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव मण्डल गुडगांव बदस्त सिपाही रंगराज न0 88/गुडगांव बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में॰पाप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार है :– सेवा में प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) गुडगांव मण्डल गुडगांव श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच कमांक 04 दिनांक 30.04. 2008 रेवाडी, महानिदेशक रा0चौ0ब्यू0 (ह0) पंचकुला के कार्यालय के पत्र कमांक 7549/आई0–2/रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला दिनांक 01.05.2008 के अनुसार पडताल हेतु गुडगांव मण्डल गुडगांव को प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप था कि आरोपी मुख्य सिपाही शेर मौहम्मद ने नाजायज तरीके से अवैध सम्पति बनाई हुई है। जिसके पास लगभग 3/4 डम्फर , 3 मारूति कारें, डेकढाका मोड पर लगभग 8 दुकाने है। इसने अपने पुत्र, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमीन खरीद रखी है। जिसकी किमत लगभग 80 लाख रूप्ये से अधिक है। जो इसने यह सम्पति अवैध तरीके से बनाई है। उपरोक्त जांच की पडताल निरीक्षक जगत सिंह रा0चौ0ब्यू0 गुडगांव द्वारा अमल में लाई गई थी। जो उपरोक्त आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी शेर मौहम्मद दिनांक 31.07.1985 को पुलिस विभाग में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था जिसने अपनी पुलिस नौकरी से दिनांक 31.07.1985 से दिनांक 30.06. 2008 तक कुल नेट वेतन 11,48,567 रूप्ये प्राप्त किये है। जिसका 40 प्रतिशत बचत 4,59,427 रूप्ये बनते है तथा दो दुकानों का किराया वर्ष 2001 से दिनांक 30.06.2008 तक मु0 1,20,000 रूप्ये, वर्ष 2004–05 में कोपरेटिव सोसायटी उजीना से 56,300 रूप्ये का लोन लिया गया है तथा वसिका न0 115 दिनांक 15.04.2004 के अनुसार जमीन खरीदने के लिये प्रतिवादी के पिता द्वारा रजिस्ट्री के समय 56,776 रूप्ये दिये गये है तथा प्रतिवादी द्वारा वर्ष

2007 में मौजा हथीन में जमीन बेचने के ईकरारनामें से प्राप्त रकम 3,60,000 रूप्ये को जोड कर प्रतिवादी की सभी साधनों से प्राप्त आय कुल 10,52,503 रूप्ये होनी पाई गई है। प्रतिवादी द्वारा अपनी चल–अचल सम्पति बनाने पर कुल खर्च 22,57,603 रूप्ये खर्च करना पाया गया, जो आय–व्यय विवरणी अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपनी साधनों से प्राप्त आय से 12,05,100 रूप्ये अधिक खर्च करना पाया गया है। यह राशी प्रतिवादी शेर मौहम्मद हाल सहायक उप निरीक्षक जिला पुलिस पलवल ने नाजायज तरीके से 12,05,100/– रूप्ये की सम्पति अधिक अर्जित की है। प्रतिवादी शेर मोहम्मद उपरोक्त के खिलाफ धारा 13 (1) ई0 पी0सी0 एक्ट के अर्न्तगत अभियोग अकिंत करने का सुझाव दिया गया था। जो अब सरकार के पत्र क्रमांक 71/31/2008–5 चौकसी–I दिनांक 23.12.2013 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पृष्ठाकं 112/आई0–2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 02.01.2014 के अनुसार शेर मोहम्मद उपरोक्त के खिलाफ धारा 13(1) ई0 पी0सी0 एक्ट के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। जो तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ए0एस0आई0 नरेश कुमार थाना रा0चौ0ब्यू0.(ह0) गुडगांव भेजी जा रही है। अभियोग अकिंत करके हस्ब आदेश अफसरानबाला मिसल मुकदमा हजा व जांच से सम्बन्धित फाईल सहित बराये आगामी तफतीश निरीक्षक कृष्ण कुमार के पास भिजवाई जावें। हस्ताः हिन्दी जगदीश चन्द्र, निरीक्षक, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव मण्डल गुडगांव अजथाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा का जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जावेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बजरिया स्पैशल मैसन्जर आरिन्दा सिपाही रंगराज न0 88/गुडगांव भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर व जांच से सम्बन्धित फाईले बराये आगामी तफतीश निरीक्षक कृष्ण कुमार के पास भिजवाई जा रही है।

हस्ता अंग्रेजी/– समर्थ सिंह नि0

थाना प्रभारी का नाम

नाम : समर्थ सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : 140/एच0ए0पी0
दिनांक 28.01.2014 समय 05.30 पी.एम